29/10/20 पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थिनी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थिनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिनी ने माननीय न्यायालय में ही एक वाद-पत्र घोषणा व बंटवारा का पेश किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थिनी की पुश्तैनी भूमि मौजा बाराबण के खसरा नम्बर 527, 613 की आई हुई है, जिसमें प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा है तथा राजस्व रेकर्ड शामलाती है। विप्रार्थी संख्या 2 विवादित आराजी को बेचान करने की फिराक में है जिससे प्रार्थिनी वास्तविक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजी के पैतृक होने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा स्थगन के दोनों बिंदु प्रार्थीनी के पक्ष में होने से तीसरा बिंदु सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। स्थगन आदेश को तास्फैसला कन्फर्म किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थीनी के वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन ~~करने के~~ करने एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा विवादित खसरों के संबंध में जारी स्थगन आदेश प्रार्थीनी के तोशतल हिस्से तक को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट (confirm) किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested